न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(उतर),जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री पंकज कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व मुल वाद संख्या :– 74 / 2023,

वादी–

1. **बन्नाराम पुत्र श्री रूघाराम**, उम्र 64 वर्ष, जाति प्रजापत, निवासी गांव बनाड, तहसील व जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण–

1. **हीराराम पुत्र स्व. श्री लुम्बाराम** जाति प्रजापत, निवासी ग्राम बनाड, तहसील व जिला जोधपुर ।
2. **गोरधनराम उर्फ गोदाराम पुत्र स्व. श्री लुम्बाराम** जाति प्रजापत, निवासी ग्राम बनाड, तहसील व जिला जोधपुर।
3. **रूघाराम पुत्र श्री लुम्बाराम** जाति प्रजापत के विधिक वारिसान–

3/1 **श्रीमती लीला पत्नी श्री रामचन्द्र पुत्री स्व. रूघाराम**, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम काकेलाव कुम्हारो का बास, तहसील व जिला जोधपुर ।

3/2 **सोनाराम पुत्र स्व. श्री रूघाराम**,

3/3 **छगाराम पुत्र स्व. श्री रूघाराम**,

3/4 **ओमाराम पुत्र स्व. रूघाराम**, जातियान प्रजापत, निवासीगण ग्राम बनाड, तहसील व जिला जोधपुर।

4. **श्रीमती पेमीदेवी पत्नी श्री कानाराम पुत्री स्व. श्री लुम्बाराम** के विधिक वारिसान–

4/1 **भोराराम पुत्र स्व. श्री कानाराम**,

4/2 **रामुराम पुत्र स्व. श्री कानाराम**,

4/3 **ओमाराम पुत्र स्व. श्री कानाराम**, सभी जातियान् प्रजापत, निवासीगण गजानंद कॉलोनी, करणी स्कुल के पास, सुथला, तहसील व जिला जोधपुर ।

4/4 **श्रीमती सीता पत्नी श्री बोरेश पुत्री स्व. कानाराम**, जाति प्रजापत, निवासी 3 विद्या नगर, काली टंकी, आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

4/5 **श्रीमती सुगणा पत्नी धन्नाराम पुत्री स्व. कानाराम**, जाति प्रजापत, निवासी अशोक नगर, चांदणा भाखर, जोधपुर।

4/6 **श्रीमती गंगा पत्नी तेजाराम पुत्र स्व. श्री कानाराम**, जाति प्रजापत, निवासी सुभाष घाट, मोचियो की गली, पीपाड सिटी, तहसील पीपाड सिटी, जिला जोधपुर।

4/7 **श्रीमती जमना पत्नी श्री विष्णु जी, पुत्री स्व. कानाराम**, जाति प्रजापत, निवासी सारण नगर के अंदर घनेश नगर, प्लॉट संख्या 194, अजमेर रोड, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

4/8 **श्रीमती विद्या पत्नी श्री श्रवण जी पुत्री स्व. कानाराम**, जाति प्रजापत, निवासी सरकारी स्कुल के पास, ग्राम राजोला कलां, कुम्हारो का बास, तहसील सोजत जिला पाली।

5. **श्रीमती सायरी पत्नी मांगीलाल पुत्री स्व. लुम्बाराम**, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम बनाड, तहसील व जिला जोधपुर ।
6. **राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश, जोधपुर।**
7. **तहसीलदार, तहसील व जिला जोधपुर।**

राजस्व मूल वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा, में
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.
सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

दिनांकः– 16/1/24

निर्णय

उपस्थितिः– वादी की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र चौधरी।
प्रतिवादी सं. 1, 4/1 से 4/8 व 5 की ओर से अधिवक्ता बाबुलाल गोरा।
प्रतिवादी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता सांगाराम चौधरी।
प्रतिवादी सं. 3 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता अक्षय दवे।

वादी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 लुम्बाराम जी, के विधिक वारिसान है लुम्बाराम जी का सम्वत 2032 में देहान्त हो चुका है वाके ग्राम बनाड, पटवार क्षेत्र बनाड, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जाजीवाल, तहसील व जिला जोधपुर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पैत्रक कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 16 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 562 रकबा 44 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 518 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 557 रकबा 105 बीघा 11 बिस्वा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में लुम्बाराम का 1/4 हिस्सा था, लुम्बाराम का सम्वत 2032 में देहान्त हो चुका है व लुम्बाराम जी की पत्नी श्रीमती आशादेवी का भी देहान्त हो चुका है, लुम्बाराम के देहान्त के पश्चात् लुम्बाराम के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी विधिक वारिसान के रूप में उनके पुत्र रूघाराम, गोरर्धनराम व हीराराम तथा पुत्रीयां श्रीमती पेमी व श्रीमती सायरी का हक हिसा बनता था लेकिन किसी प्रकार की जांच किये बिना हल्का पटवारी बनाड द्वारा लुम्बाराम की कृषि भूमि में लुम्बाराम का 1/4 हिस्सा था, के बाबत नामान्तरकरण गलत रूप से लुम्बाराम के मात्र एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का स्वीकृत करवा लिया जिसकी कोई सूचना वादी एवं लुम्बाराम के अन्य वारिसान को नहीं दी गई। उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण स्व. लुम्बाराम जी के केवल एक पुत्र हीराराम अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 वादी व अन्य प्रतिवादीगण वर्णित कृषि भूमियो किसी अन्य को बेचान करने की फिराक में था जिस पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वाद पत्र के पद संख्या 3 में वर्णित खसरो की भूमियो के बाबत् राजस्व रेकर्ड से जमाबन्दी, गिरदावरी, नामान्तरकरण एवं नक्शो की प्रमाणित नकले प्राप्त करने पर इन सारे तथ्यो की ज्ञान हुआ कि स्व. लुम्बाराम जी के हिस्से की जमीन राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में लुम्बाराम के मात्र एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम के नाम से चली आ रही है उक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा एक राजस्व मूल वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस वाद के सम्मन/नोटिस वादी को प्राप्त होने पर वादी को सर्वप्रथम यह जानकारी में आया कि राजस्व रेकर्ड में केवल प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्व. श्री लुम्बाराम जी के हक एवं हिस्से की कृषि भूमि में उनके अन्य विधिक वारिसान का हक–हिस्से की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जा चुका था जिस कारण वादी को यह आशा थी कि उक्त वाद के जरिये वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को उनके हक हिस्से की कृषि विभाजित होकर प्राप्त हो जायेगी, जिस कारण वादी द्वारा तत्समय कोई पृथक से विधिक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई एवं वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 2 गोरर्धनराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से दुर्भि सन्धि कर पूर्व में प्रस्तुत वाद को विड्रो कर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को उनके हक से वंचित करने को आमादा है, जिस कारण वादी द्वारा वर्तमान वाद प्रस्तुत किया जा रहा है, वाद में वर्णित खसरा नम्बर 562 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 557/मिन1

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम के नाम से बतौर खातेदार चली आ रही है, जो पूर्व में लुम्बाराम के हिस्से की भूमि थी उक्त भूमि मे वादी के पिता का 1/5 हिस्से मे से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3/1 से 3/4 का सयुक्त रूप से वादी का 1/25 हिस्सा है जो वादी के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोयित है जिस कारण यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत है, वादग्रस्त कृषि भूमिया खसरा नम्बर 562 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नम्बर 557/मिन1 रकबा 26 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरे 2 कुल रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा जो वाके ग्राम बनाड तहसील व जिला जोधपुर में स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 हीराराम के नाम बतौर खातेदार दर्ज चली आ रही है, वादी के पिता स्व. रूघाराम व प्रतिवादी संख्या 1 2 4 व 5 के सयुक्त खातेदारी, कब्जा एवं काश्त की कृ षि भूमि होना घोषित करते हुए इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में उक्त खसरो की भूमि वादी के पिता स्व. रूघाराम व प्रतिवादी संख्या 1 2 4 व 5 के नाम से बतौर खातेदार दर्ज किये जाने बाबत् डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाने बाबत उक्त वाद पेश किया गया।

उपरोक्त वाद पत्र विचाराधीन है उक्त वाद मे प्रतिवादी सं. 1, 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 व 5 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 10 11 व 151 सी.पी.सी का पेश किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले खारीज है जिसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारीज फरमाया जावे। कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जबकि इसी जमीन के संबंध में समान पक्षकारो के मध्य माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व से एक वाद बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है जो वाद संख्या 216/12 गोरधनराम उर्फ गोदाराम बनाम हीराराम वगैरा लंबित है, जिसमें वादी बतौर प्रतिवादी के रूप में पक्षकार है तथा उक्त वाद के संलग्न प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 2/2013 का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 09.05.2014 को किया जा चुका है तथा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील का भी निस्तारण दिनांक 29.09.2015 को हो चुका है लेकिन उन्हीं तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा उक्त वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पूर्व बाद में वादी व वर्तमान बाद में प्रतिवादी गोरधनराम व प्रतिवादी ओमाराम वगैरा से मिलीभगत कर प्रस्तुत किया है जो विधि के तहत पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमाया जावे, कि वादग्रस्त भूमि के बाबत पूर्व में गोरधनराम द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें उक्त वाद में वादी बन्नाराम प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार है तथा बन्नाराम द्वारा पूर्व लंबित वाद में अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर गोरधनराम द्वारा वाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अंत में अनुतोष चाहा है कि वादग्रस्त कृषि भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाते हुए मुझ प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से की भूमि का पृथक रूप से मुझ प्रतिवादी संख्या 5 को कब्जा सुपुर्द करवाते हुए राजस्व रेकर्ड में मुझ प्रतिवादी संख्या 5 के हिस्से की भूमि बतौर खातेदार मुझ प्रतिवादी संख्या 5 के नाम से अमल दरामद करवाई जावे। तथा पूर्व लंबित वाद में वादी गोरधनराम द्वारा अपने वाद के अनुतोष में उक्त वाद में वादी बन्नाराम के पिता रूघाराम को वादग्रस्त भूमि के बाबत खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया था तथा उक्त बाद में वादी ने रूघाराम का

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

पुत्र होने का आधार बताते हुए खातेदार घोषित करने की इस्तदुआ चाही है, यहां यह कहना भी उचित होगा कि वादग्रस्त भूमि के बाबत पूर्व में लंबित वाद में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है यहां तक कि पूर्व में लंबित वाद संख्या– 216/2012 में चाहा गया अनुतोष ही उक्त वाद में चाहा गया है जो कि विधि के तहत मान्य नहीं होने से काबिले खारीज होने से खारीज फरमाया जावे। तथा पूर्व लंबित वाद में जो पक्षकार है वहीं पक्षकार वादी द्वारा उक्त बाद में बनाये गये है यानि एक समान पक्षकार व उन्हीं खसरों से संबंधित एक समान तथ्यों व आधारों तथा एक समान अनुतोष के साथ दो वाद प्रस्तुत नहीं किये जा सकते जबकि दोनो बाद में बाद कारण व विषय वस्तु एक ही विषय की होने से वादी का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पूर्व में लंबित वाद के रहते हुए नया बाद कानूनन रूप से बाध्य होने से रेस ज्यूडिकेटा की श्रेणी में आने से उक्त बाद विधि द्वारा वर्जित है इसलिए उक्त बाद प्रारंभिक स्तर पर ही खारीज किया जाना न्यायोचित होगा। कि कानूनन रूप से एक ही विषय वस्तु की बात को भिन्न भिन्न दावों के माध्यम से सुनवाई किया जाना किसी भी प्रकार से विधिवत नहीं है जबकि पूर्व लंबित वाद में वर्णित तथ्यों व अनुतोष को वादी द्वारा दोहराते हुए नया वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होने से विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर बाद की कार्यवाही रोकी जावे एवं एक ही समांतर अनुतोष के भिन्न भिन्न वाद अलग अलग समय में प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया है. यहीं नहीं वादी द्वारा अपने बाद के पद संख्या 6 में झूठ कथन अंकित किये गये है कि पूर्व प्रस्तुत वाद को गोरधनराम उर्फ गोदाराम द्वारा विड्रो कर वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को उनके हक से वंचित करने को आमादा है जबकि वादी द्वारा पूर्व लंबित वाद में वादी व वर्तमान वाद में प्रतिवादी संख्या 2 गोरधनराम व प्रतिवादी संख्या 3 से मिलीभगत कर उक्त नया वाद प्रस्तुत किया गया है क्योंकि पूर्व लंबित वाद में प्रतिवादी सोनाराम, छगाराम, ओमाराम तथा वादी के पिता रूघाराम द्वारा हीराराम के साथ अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर गोरधनराम उर्फ गोदाराम द्वारा प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों व आधारों को नकारते हुए हीराराम के नाम दर्ज खातेदारी जमीन को सही बताते हुए सशपथ कथन किये जबकि हाल ही सोनाराम, छगाराम, ओमाराम व श्रीमति लीला जो कि वादी बन्नाराम के सगे भाई व बहन है के साथ मिलीभगत कर उक्त नया वाद प्रस्तुत किया है जिससे उक्त प्रतिवादीगण संख्या 3 वादी के वाद का समर्थन कर सके जबकि पूर्व लंबित वाद में इनके द्वारा इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत पूर्व वाद को नकारते हुए सशपथ कथन कर जवाब दावा प्रस्तुत किया व हीराराम के नाम दर्ज जमीन को बिल्कुल सही बताते हुए पूर्व प्रस्तुत बाद को खारीज करने का निवेदन किया गया। पूर्व लंबित बाद की प्रति व जवाब दावो की प्रति प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत है। जिससे समान जमीन के बाबत व समान पक्षकारों के मध्य समान तथ्यों व अनुतोष के आधार पर पूर्व वाद लंबित रहते हुए नया वाद प्रस्तुत किया जाना रेस ज्यूडिकेटा सिद्धान्त से ग्रसित होने के साथ ही विधि द्वारा वर्जित एवं विधि के विपरित है तथा ऐसे वादों को रोका जाना विधि सम्मत है तथा ऐसे वादो का अलग अलग निस्तारण होने से अलग अलग निर्णय पारित हो सकते है ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद किसी भी रूप में लंबित रखे जाने योग्य नहीं होने से इसे खारिज फरमाया जावे। यह कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि समान तथ्यो व समान विषय वस्तु तथा समान पक्षकारों के मध्य यदि कोई वाद लंबित है तो बाद में प्रस्तुत की गई कार्यवाही को रोक दिया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद किसी भी रूप में चलने योग्य नहीं है व इसी स्तर पर खारीज योग्य होने से खारीज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत याद एवं पूर्व में लंबित वाद संख्या 216/12 बअनवान गोरधनराम उर्फ गोदाराम बनाम हीराराम वगैरा की एक ही विषय वस्तु एक ही कृषि भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित होने से भिन्न भिन्न वाद की श्रेणी में आने से विधि द्वारा वर्जित है तथा कानूनन बाधित होने से वादी का उक्त वाद वाद विधि द्वारा बाधित होने एवं वाद कारण पैदा नही होने से इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया।

वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व सपठित धारा 10 11 व 151 सी.पी.सी का जवाब पेश कर निवेदन किया कि कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया है वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद को प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिए पडी क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दुरभिसंधि करते हुए पूर्व में प्रस्तुत वाद को वापस लेने की संभावना थी जिस कारण वादी की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त कथन वादी द्वारा अपने वादपत्र में स्पष्टतया वर्णित किया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पूर्व में प्रस्तुत वाद को सुनियोजित तरीके से वादी को उसके राजस्व अधिकारों से महरूम रखने के आशय से वापस लेने को आमादा है। अगर प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में प्रस्तुत वाद को विड्रो कर लेता है तो वादी अपने राजस्व अधिकारों से वंचित हो जायेगा। यहां यह वर्णित करना भी आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित कानूनी प्रावधान आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान राजस्व वाद का लागू नही होते है वैसे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया है इस प्रकरण में पूर्व मे प्रस्तुत बाद श्रीमान न्यायालय में लंबित है जिस कारण यह सिद्वांत इस वाद पर लागू नही होता है इसी तरह धारा 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का सिद्धांत भी इस बाद पर लागू नही होता है क्योंकि वर्तमान बाद में वादी द्वारा इस वाद को प्रस्तुत करने का वादकारण में स्पष्टतया वर्णित किया है कि जब लुम्बाराम जी के देहांत के बाद पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त खसरे की भूमि के नामांतरकरण लुम्बाराम के नात्र एक पुत्र हीराराम के नाम से गलत रूप से स्वीकृत किया गया जिसकी जानकारी दादी को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा श्रीमान सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के नोटिस प्राप्त होने एवं तत्पश्चात दिनांक 11.08.2023 को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दुरभिसंधि करते हुए वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि से जोर जबरदस्तीपूर्वक बेदखल करने एवं पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत बाद को विड्रो कर उक्त कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द किये जाने की धमकी दिये जाने के कारण निरंतर उत्पन्न हो रहा है इस तरह वादी द्वारा नया वाद पूर्णतया नये वादकारण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा दुरभिसंधि कर पूर्व बाद को दिड्रो करने की धमकी देने पर प्रस्तुत किया है कि अगर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पूर्व वाद को विड्रो कर लेते है तो वादी अपनी कृषि भूमि से सम्बंधित राजस्व अधिकारों से वंचित हो जायेगा। जिससे वादकारण अलग होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का निरंतर विचारण किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं, अन्त मे निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

बहस उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 10 11 व 151 सी.पी.सी पर सुनी गयी, प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त

उपखण्ड अधिकारी

वाद विधि द्वारा वर्जित है तथा रेस जुडिकेटा की श्रेणी मे आता है वादग्रस्त खसरा सं. 562 व 557/मीन1 दोनो खसरो का कुल रकबा 47 बीघा 11 बिस्वा भूमि बाबत घोषणा विभाजन स्थाई निषेधाज्ञा का पूर्व में गोरधनराम बनाम हीराराम वगैरा अनवान का वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण पेश किये जा चुके है जो वाद वर्तमान में इसी न्यायालय में विचाराधीन है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जा चुका है उक्त पूर्व में पेश किये गए वाद गोरधनराम बनाम हीराराम अनवान के वाद में वर्तमान वाद का वादी बनाराम उसमें प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षकार है तथा वादी बनाराम के पिता रूघाराम व बनाराम के भाई सोनाराम, छगाराम, ओमाराम तथा रूघाराम की बहनें पेमी व सायरी बतौर प्रतिवादी पक्षकार है उपरोक्त पूर्व वाद गोरधनराम बनाम हीराराम के प्रतिवादीगण यानि बनाराम के पिता रूघाराम बनाराम के भाई सोनाराम, छगाराम, ओमाराम एवं बनाराम के पिता की बहने पेमी व सायरी ने पूर्व वाद गोरधनराम बनाम हीराराम अनवान के वाद पत्र में अपना जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त खसरान की भूमि शुरू से प्रतिवादी हीराराम की रही है तथा उक्त भूमि पर वक्त सैटलमेंट से हीराराम ही काबिज काश्त एवं खातेदारी दर्ज चली आ रही है जिसकी बखुबी जानकारी स्व. लुंबाराम जी के पुरे परिवार को है तथा पुरा परिवार उक्त भूमि हीराराम की होने बाबत सहमत एवं रजामंद है तथा इन सभी द्वारा हीराराम के पक्ष में अपने लिखित सहमति, शपथ पत्र वसीयत, जवाबदावा इत्यादि निष्पादित किये हुए है। तथा उपरोक्त पूर्व में पेश वाद गोरधनराम बनाम हीराराम अनवान में वर्तमान वाद का वादी बनाराम प्रतिवादी सं. 5 के रूप में पक्षकार है जिसने अपना जवाबदावा पूर्व वाद में पेश कर उक्त विवादित खसरान की भूमि में अपने हिस्से की भूमि बाबत घोषणा बंटवाड़ा एवं कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है लेकिन बनाराम द्वारा पूर्व वाद गोरधनराम बनाम हीराराम वगैरा अनवान के वाद में प्रस्तुत किये गए तथ्यों एवं अपने पिता रूघाराम व भाईयों द्वारा हीराराम के पक्ष में जवाब सहमति इत्यादि तथ्यों को छिपाने के लिहाज से एवं पूर्व में पेश अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण गोरधनराम बनाम हीराराम के प्रार्थना पत्र में माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के आदेश के तथ्यों को छिपाकर वादी बनाराम को उक्त विवादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में सभी तथ्यों की जानकारी शुरू से बखूबी होने के बावजूद भी पूर्व वाद गोरधनराम बनाम हीराराम अनवान के वाद कारण के आधार पर ही उक्त नया वाद बनाराम बनाम हीराराम अनवान का बिना नए वाद कारण उत्पन्न हुए, बिना वाद कारण, उसी जमीन का व उन्ही पक्षकारान का पेश कर दिया जबकि पूर्व वाद में उक्त वादग्रस्त खसरान का ही एवं उक्त वाद के पक्षकारान पूर्व वाद में पक्षकार है जिससे ऐसा नया वाद विधि द्वारा बाधित है तथा ऐसे प्रकरण रेस जुडिकेटा की श्रेणी में आते है जिससे ऐसे प्रकरणों से बिना वजह वाद बाहुल्यता बढती है तथा पक्षकारान के अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु अड़चनें पैदा होती है तथा अपने समर्थन में कानूनी उद्दरण माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के अनन्तपाल सिंह बनाम सुमेरसिंह DNJ 2017 पार्ट 1 पेज–1 का पेश कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 10 11 व 151 सी.पी.सी स्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया।

तथा वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया विधिक प्रावधानों अनुसार सही है उक्त वाद को प्रस्तुत करने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दुरभिसंधि करते हुए पूर्व में प्रस्तुत वाद को वापस लेने की संभावना थी जिस कारण वादी की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया गया, अगर प्रतिवादी संख्या 1 पूर्व में

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

प्रस्तुत वाद को विड्रो कर लेता तो वादी अपने अधिकारों से वंचित हो जाता, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में वर्णित कानूनी प्रावधान आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान राजस्व वाद का लागू नही होते है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पूर्णतया विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया है इस प्रकरण में पूर्व मे प्रस्तुत बाद श्रीमान न्यायालय में लंबित है जिस कारण यह सिद्वांत इस वाद पर लागू नही होता है जब लुम्बाराम जी के देहांत के बाद पटवारी हल्का द्वारा वादग्रस्त खसरे की भूमि के नामांतरकरण लुम्बाराम के नात्र एक पुत्र हीराराम के नाम से गलत रूप से स्वीकृत किया गया जिसकी जानकारी दादी को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा श्रीमान सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा के. नोटिस प्राप्त होने पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दुरभिसंधि करते हुए वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण को उनके हक व हिस्से की कृषि भूमि से जोर जबरदस्तीपूर्वक बेदखल करने एवं पूर्व में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत बाद को विड्रो कर उक्त कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द किये जाने की धमकी दिये जाने के कारण नया वाद पेश किया, एवं कानूनी उद्दरण नेषनल रस्टीस्यूट बनाम सी परमेष्वर SC DB 2004 पेज–1 एवं पुखराज बनाम गोपालकृष्ण SC 2004 का पेश किया, इस तरह वादी द्वारा नया वाद पूर्णतया नये वाद कारण पर प्रस्तुत किया है जिससे वाद कारण अलग होने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का निरंतर विचारण किया जाना आवश्यक हैं, जिससे प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली मे प्रस्तुत मूल वाद, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 10 11 व 151 सी.पी.सी व जवाब प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस व बहस मे दिये गये तर्को एवं कानूनी उद्धरण तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन कर, समग्र रूप से विवेचन किया।

हस्तगत वाद के पूर्व इसी भूमि व इन्ही पक्षकारो के मध्य राजस्व वाद बाबत घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का इसी न्यायालय मे वाद संख्या 216/2012 गोरधनराम बनाम हीराराम वगैरा लम्बित है, उक्त प्रकरण मे वादी बतौर प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार है, एवं इस वाद के साथ राजस्व प्रार्थना पत्र गोरधनराम बनाम हीराराम वगेरा भी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 2/13 का प्रस्तुत किया जो न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.05.2014 को निस्तारण कर दिया, जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत हुई जो दिनांक 23.05.2014 को निस्तारण हो चुकी है। अब पुनः उन्ही पक्षकारो, उसी भूमि बाबत, उन्ही ही वाद कारण, समान अनुतोष का नया वाद इसी न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है, पूर्व वाद में वर्तमान वाद का वादी बनाराम को प्रतिवादी संख्या 5 बनाराम के नाम से पक्षकार संयोजित है तथा मुख्य प्रार्थना भी प्रतिवादी संख्या 5 ने ही चाही है, वाद मे बाई मिटस एण्ड बाउण्ड से विभाजन कियें जाने का अनुतोष है तथा वर्तमान वाद मे भी यही अनुतोष है। इस प्रकार वर्तमान वाद वादी बनाराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो विधि द्वारा पूर्ण रूप से बाधित है। यह विधि का सर्व विद्धित सिद्धान्त है कि समान भूमि, समान पक्षकार व उन्ही धाराओ के तहत पूर्व मे कोई राजस्व वाद विचाराधीन है तो नया वाद कानूनी रूप से पेश किये जाने पर बाधित है। विधि मे ऐसे वाद को अनुमति नही दी जा सकती, प्रथम तो न्यायालय मे अनावश्यक रूप से मामलो की संख्या मे बढोतरी होती है, एवं प्रकरण के निस्तारण मे

उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उत्पन्न पैदा होती है। क्योकि दोनो वादो मे विषयवस्तु एक ही है। हम योग्य प्रतिवादी अधिवक्ता की ओर से अपने तर्को के समर्थन मे प्रस्तुत कानूनी उद्धरण माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के अनन्तपाल सिंह बनाम सुमेरसिंह DNJ 2017 पार्ट 1 पेज–1 से पूर्ण रूप से सहमत है। उक्त परिपेक्ष्य में वर्तमान वाद बनाराम बनाम हीराराम वगैरा का बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पूर्ण रूप से विधि द्वारा बाधित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1, 4/1 से 4/8 व 5 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 10 11 व 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर, वादी का वाद बनाराम बनाम हीराराम वगैरह का विधि द्वारा बाधित होने से खारीज किया जाता है। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो।

पंकज कुमार, (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 16/1/20..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पंकज कुमार, (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर

उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर